न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिधूना, जनपद औरैया।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– /2026

CNR No.UPAU1200

राज्य बनाम अनूप कुमार उर्फ अनूप।

मु0अ0सं0–175/2026

धारा–281, 125(बी) बी0एन0एस0

थाना–बिधूना, जिला औरैया।

दिनांक–06.06.2026

1. अभियुक्त **अनूप कुमार उर्फ अनूप पुत्र रघुवीर सिंह** की ओर से मु0अ0सं0–175/2026, अन्तर्गत धारा–281, 125(बी) बी0एन0एस0, थाना बिधूना, जिला औरैया के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त आत्मसमर्पण कर न्यायलय के समक्ष उपस्थित है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त का कथन है कि प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी को झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी ने कथित घटना के सम्बन्ध में कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी जमानत देने को तैयार है। उक्त मामले में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। प्रार्थी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।

3. थाना बिधूना की आख्यानुसार थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–175/2026, अन्तर्गत धारा–281, 125(बी) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित अभियुक्त/चालक अनूप कुमार उर्फ अनूप पुत्र रघुवीर सिंह का नाम प्रकाश में आया है, जो वांछित है।

4. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की आख्यानुसार अभियुक्त द्वारा कारित अपराध जमानतीय है। सुना एवं उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

5. प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। आक्षेपित अपराध जमानतीय प्रकृति का है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष स्वयं आत्मसमर्पण किया गया है। अभियुक्त की तस्दीक उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी है। मामले के तथ्य से दर्शित है कि अभियुक्त के विरूद्ध विवेचना प्रचलित है। दौरान विवेचना अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध 7 वर्ष से कम की सजा से दण्डनीय है। अतः मामले के तथ्य, परिस्थितियों एवं जमानत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को देखते हुए बिना गुण दोष पर टीका–टिप्पणी किये, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने के आधार पर्याप्त हैं।

आदेश

अभियुक्त **अनूप कुमार उर्फ अनूप पुत्र रघुवीर सिंह** की ओर से मु0अ0सं0–175/2026, अन्तर्गत धारा–281, 125(बी) बी0एन0एस0, थाना बिधूना, जिला औरैया के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निम्न शर्तो/अण्डरटेकिंग पर स्वीकार किया जाता है कि–

1– अभियुक्त भविष्य में प्रत्येक तिथि पर न्यायालय के समक्ष स्वयं एवं जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहेगा तथा विवेचना व विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा एवं भागेगा नहीं।

2– अभियुक्त द्वारा 20,000/–रूपये धनराशि की एक जमानत एवं समान धनराशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करेगा।

Digitally signed by KUSHAGRA MISHRA
Date: 2026.06.06 14:31:11 IST
Reason: Order
Location: CJJD/JM Outlying Court, Bidhuna

3– अभियुक्त किसी भी साक्षी के साथ प्रताड़ना या दुर्व्यवहार कारित नहीं करेगा और किसी भी स्थिति में विचारण में विलम्ब उत्पन्न नहीं करेगा। अभियुक्त किसी अवैधानिक क्रिया कलाप को कारित करने में सम्मिलित नहीं होगा।

उक्त शर्तोनुसार प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाये।

(कुशाग्र मिश्र)
सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0,
बिधूना, औरैया।
JO Code UP 4693